संख्या:55/2016/231/35-4-2016

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:11 फरवरी,2016

विषय : वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-186/2015/186/35-4-2015 दिनांक 05 मई,2015 द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं से संबंधित 19 कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लागत रू. 3564.62 लाख की प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 725.64 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त स्वीकृत 19 कार्यों में से सन्दर्भित शासनादेश की तालिका के क्रमांक-12 पर अंकित कार्य यथा: इन्दुइयागंज ग्रामीण पाइप पेयजल योजना की अनुमोदित लागत रू. 221.47 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू. 121.47 लाख अंकित हो गई है। अत: सन्दर्भित स्वीकृति शासनादेश के क्रमांक-12 पर अंकित कार्य की लागत को रू. 221.47 लाख पढ़ा जायेगा तथा 19 पाइप पेयजल योजनाओं की लागतको रू. 3564.62 लाख के स्थान पर रू. 3664.62 लाख पढ़ा जायेगा।

इस सीमा तक उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 05 मई, 2015 संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:55/2016/231(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/गन्ना विकास/ग्राम्य विकास/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/कृषि विपणन
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/go